संख्या-267/2024/1440/22-2-2024-17(394)/2024

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 11 नवम्बर 2024

विषयः- केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बुद्धा पुत्र श्री रामप्रसाद, निवासी जनपद-बदायूं की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-27404/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-03-09-2024) दिनांक-06-09-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बुद्धा पुत्र श्री रामप्रसाद, ग्राम-बाजपुर, थाना-धनारी, जनपद-बदायूँ का निवासी है। प्रकरण से सम्बन्धित प्रथम वाद में वादी के अनुसार उसकी लड़की मीना व उसके पति अभियुक्त प्रेमशंकर के मध्य गुजारा भत्ते का मुकदमा चल रहा था। जिसमें अभियुक्त के विरूद्ध कुर्की वारण्ट जारी हो गया था। दिनांक 24-04-1997 को बन्दी ने अपने 03 सअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचा, फरसा से हमला कर मीना नामक महिला की हत्या कर दी। प्रकरण से सम्बन्धित द्वितीय वाद में वादी के अनुसार मीना की हत्या अभियुक्तगण आदि द्वारा की गई थी, जिसकी पैरवी वादी के पिता द्वारा की जा रही थी, जिसकी रंजिश वश दिनांक 15-03-2004 को बन्दी ने अपने 02 सअभियुक्तों के साथ मिलकर गड़ासा व कुल्हाड़ी से हमला कर वादी के पिता रघुनन्दन नामक 01 व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) सत्र परीक्षण संख्या-571/1997 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 एवं 4/25 ए एक्ट में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, कोर्ट संख्या 04, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 07-10-2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (2) सत्र परीक्षण संख्या-527/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 14, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 02-08-2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 28.02.2023 तक अपरिहार 19 वर्ष, 29 दिन तथा सपरिहार 24 वर्ष, 08 माह, 24 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सम्भल द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि० एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बंदी को जेल में आगे निरुद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बार्ड का अभिमत है कि प्रथम केस में वादी के अनुसार उसकी लड़की मीना व उसके पति अभियुक्त प्रेमशंकर के मध्य गुजारा भत्ते का मुकदमा चल रहा था। जिसमें अभियुक्त के विरूद्ध कुर्की वारण्ट जारी हो गया था। दिनांक 24.04.1997 को बंदी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के सथ मिलकर तमंचा, फर्सा से हमला कर मीना नामक महिला की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा द्वितीय केस में वादी के अनुसार मीना की हत्या अभियुक्तगण आदि द्वारा की गई थी, जिसकी पैरवी वादी के पिता द्वारा की जा रही थी, जिसकी रंजिश वश दिनांक 15.03.2004 को बंदी ने अपने 02 सहअभियुक्त के साथ मिलकर गडासा व कुल्हाड़ी से हमला कर वादी के पिता रघुनन्दन नामक 01 व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी बुद्धा पुत्र श्री रामप्रसाद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बुद्धा (बन्दी संख्या-15367) पुत्र श्री रामप्रसाद, निवासी जनपद-बदायूं को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-267/2024/1440(1)/22-2-2024 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बदायूं।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5-नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित अवमानना वाद (सिविल) सं0-583/2024 नन्हे लाल बनाम राजेश कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-07-2024 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-267/2024/1440/22-2-2024-17(394)/2024

दिनांक 11 नवम्बर 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बुद्धा पुत्र श्री रामप्रसाद, ग्राम-बाजपुर, थाना-धनारी, जनपद-बदायूँ का निवासी है। प्रकरण से सम्बन्धित प्रथम वाद में वादी के अनुसार उसकी लड़की मीना व उसके पति अभियुक्त प्रेमशंकर के मध्य गुजारा भत्ते का मुकदमा चल रहा था। जिसमें अभियुक्त के विरूद्ध कुर्की वारण्ट जारी हो गया था। दिनांक 24-04-1997 को बन्दी ने अपने 03 सअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचा, फरसा से हमला कर मीना नामक महिला की हत्या कर दी। प्रकरण से सम्बन्धित द्वितीय वाद में वादी के अनुसार मीना की हत्या अभियुक्तगण आदि द्वारा की गई थी, जिसकी पैरवी वादी के पिता द्वारा की जा रही थी, जिसकी रंजिश वश दिनांक 15-03-2004 को बन्दी ने अपने 02 सअभियुक्तों के साथ मिलकर गड़ासा व कुल्हाड़ी से हमला कर वादी के पिता रघुनन्दन नामक 01 व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) सत्र परीक्षण संख्या-571/1997 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 एवं 4/25 ए एक्ट में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, कोर्ट संख्या 04, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 07-10-2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (2) सत्र परीक्षण संख्या-527/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 14, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 02-08-2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 28.02.2023 तक अपरिहार 19 वर्ष, 29 दिन तथा सपरिहार 24 वर्ष, 08 माह, 24 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सम्भल द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि० एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बंदी को जेल में आगे निरुद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बार्ड का अभिमत है कि प्रथम केस में वादी के अनुसार उसकी लड़की मीना व उसके पति अभियुक्त प्रेमशंकर के मध्य गुजारा भत्ते का मुकदमा चल रहा था। जिसमें अभियुक्त के विरूद्ध कुर्की वारण्ट जारी हो गया था। दिनांक 24.04.1997 को बंदी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के सथ मिलकर तमंचा, फर्सा से हमला कर मीना नामक महिला की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा द्वितीय केस में वादी के अनुसार मीना की हत्या अभियुक्तगण आदि द्वारा की गई थी, जिसकी पैरवी वादी के पिता द्वारा की जा रही थी, जिसकी रंजिश वश दिनांक 15.03.2004 को बंदी ने अपने 02 सहअभियुक्त के साथ मिलकर गडासा व कुल्हाड़ी से हमला कर वादी के पिता रघुनन्दन नामक 01 व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी बुद्धा पुत्र श्री रामप्रसाद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।